न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 252/2015

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा

बनाम

2. हजारी, रामू, कमलेश पि0 कजोड धापा बेवा कजोड, सोमोती, अनिता पुत्री कजोड जाति बैरवा सा0 सैंथल तहसील दौसा।

रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: श्री संदीप चौहान अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

:–निर्णयः–

दिनांकः 27.11.2017

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा ग्राम सैथल तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नं. 1087 रकबा 0.35 है0 किस्म चाही–02 को संवत 2003 में गैर मुमकिन नदी किस्म की भूमि होना व्यक्त करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के द्वारा राज्य सरकार को दिये गये निर्देशो के परिपेक्ष में पुनः उक्त प्रश्नगत भूमि को गैर मुमकिन नदी दर्ज किये जाने हेतु, यह रेफरेन्स माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा में पेश किया गया। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा से स्थानान्तरण होकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में पेश हुआ।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 252/2015

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम सैंथल तहसील दौसा स्थित खसरा नं. 1142 रकबा 178.12 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में संवत 2003 में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड थी। वादग्रस्त आराजी जरिये नामान्तरकरण सं. 99 दिनांक 01.05.90 से कजोड पुत्र रेवड बैरवा के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई। आवंटन के दस वर्ष पश्चात नामान्तरकरण सं. 381 दिनांक 31.10.01 से खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2067–70 खाता नं. 28 मे उल्लेखित भूमि परिवर्तित खसरा नं. 1087 रकबा 0.35 है0 किस्म चाही–02 हजारी, रामू, कमलेश पि0 कजोड, धापा बेवा कजोड, सोमोती, अनिता पुत्री कजोड बैरवा सा. सैंथल के नाम दर्ज है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.04 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणो को निरस्त कर गैर मुमकिन नदी, नला भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश दिये है। अतः प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं आर. एल.आर एवं 232 आर.टी.ए. 1955 के तहत प्रस्तुत रैफरेंस स्वीकार कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियो को निरस्त कर दिनांक 15.08.1947 की प्रविष्टियों को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि रेफरेंस में जिस प्रकार तथ्य अंकित किये गये है वह स्वीकार नही है। वर्तमान खसरा नं0 1087 रकबा 0.35 है0 अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है तथा उक्त भूमि कभी भी गैर मुमकिन नदी भूमि नही रही है, काबिल काश्त भूमि रही है। जिसपर प्रार्थीगण पूर्वजो के समय से काश्त कर लाभान्वित होते रहे है। वर्तमान में यहा किसी प्रकार की नदी नही है। उक्त भूमि को ऊपजाउ बनाने में लाखो रूपये खर्च किये गये है। रेफरेंस प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर रेफरेंस की कार्यवाही ड्राप फरमावे।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि खसरा नं. 1142 रकबा 178.12 है0 भूमि संवत 2003 में गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। ग्राम सैंथल के भूमि एकीकरण संवत 2017 में परिवर्तित खसरा नं. 489 रकबा 178.12 है0 गैर मुमकिन नदी बनाया गया एवं भूमि बन्दोबस्त 2041–60 में खसरा नं. 489 मे से खसरा नं. 1087 बनाया गया। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 1087 रकबा 0.35 है0 किस्म चाही–02 अप्रार्थीगण हजारी, रामू, कमलेश पि0 कजोड, धापा बेवा कजोड, सोमोती, अनिता पुत्री कजोड बैरवा सा. सैंथल के नाम दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात जमाबन्दी व नामान्तरकरण आदि से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है व विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गै0मु0 नदी दर्ज रेकार्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार दौसा को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 27.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर दौसा